न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, पीपलू जिला–टोंक

पीठासीन अधिकारी श्रीमति शिप्रा शर्मा (आर.ए.एस.)

वाद पत्र संख्या–88 / 2016
वाद पत्र प्रस्तुति दिनांक :–31.07.2019
निर्णय दिनांकः–14.08.2019

उनवान

1.प्रहलाद पुत्र छोगा जाति गुर्जर निवासी ग्राम डारडातुर्की तहसील पीपलू जिला टोंक (राज.)
2.देवहंस पुत्र धूलाराम जाति गुर्जर निवासी ग्राम डारडातुर्की तहसील पीपलू जिला टोंक (राज.)
3.रामसहाय पुत्र धूलाराम जाति गुर्जर निवासी ग्राम डारडातुर्की तहसील पीपलू जिला टोंक (राज.)
4.मनोहर पुत्री धूलाराम जाति गुर्जर निवासी ग्राम डारडातुर्की तहसील पीपलू जिला टोंक (राज.)
5.कल्याणी पुत्री धूलाराम जाति गुर्जर निवासी ग्राम डारडातुर्की तहसील पीपलू जिला टोंक राज.
6.जसोदा पुत्री धूलाराम जाति गुर्जर निवासी ग्राम डारडातुर्की तहसील पीपलू जिला टोंक राज.
7.सीता पत्नि धूलाराम जाति गुर्जर निवासी ग्राम डारडातुर्की तहसील पीपलू जिला टोंक (राज.)

वादीगण

बनाम

1.जगदीश पुत्र छोगा जाति गुर्जर निवासी ग्राम डारडातुर्की तहसील पीपलू जिला टोंक राज.
2.बैंक ऑफ बड़ौदा शाखा, पीपलू
3.तहसीलदार, पीपलू

प्रतिवादीगण

दावा बाबत् उद्घोषणा व दुरूस्ती इन्द्राज

अन्तर्गत धारा 88, 92–ए व 188 राज.टि.एक्ट 1955

अधिवक्ता वादी–श्री एन.के. शर्मा

अधिवक्ता प्रतिवादीः–श्री रामअवतार चौधरी

निर्णय दिनांक–14.08.2019

उप खण्ड अधिकारी
पीपलू (टोंक)

निर्णय

. संक्षिप्त में प्रकरण इस प्रकार है कि वादीगण ने वाद प्रस्तुत कर कथन किया कि वादीगण व प्रतिवादी संख्या 01 स्वर्गीय छोगा के वारिसान हैं जिसका सजरा पैरा संख्या 02 में दर्शाया गया हैं। भूमि आराजी खसरा न0 61, 125, 133, 166, 168, 335, 365, 382, 429, 438, 454, 516, 532, 559 कुल किता 14 कुल रकबा 21 बीघा 04 बिस्वा वाकै ग्राम श्रीनगर तहसील पीपलू जिला टोंक में स्थित हैं। जो पूर्व में पक्षकारान् के पूर्वज नाथ्या के नाम थी। जिसके पश्चात उक्त भूमि का नामान्तकरण अकेले प्रतिवादी न0 01 जगदीश पुत्र छोगा के नाम दर्ज कर दिया गया। क्योंकि जगदीश बड़ा पुत्र था तथा प्रहलाद व धूलाराम छोटे पुत्र थे। जिनके नाम उक्त भूमि के राजस्व रिकॉर्ड में अंकित नहीं किया गया। जबकि उपरोक्त भूमि पर वर्षों से छोगा के तीनों पुत्र बहिस्सा बराबर काबिज होकर काश्त करते चले आ रहे हैं। उक्त भूमि प्रतिवादी न0 01 की स्वअर्जित संपत्ति नहीं हैं। बल्कि उक्त भूमि पैतृक हैं। जिस पर वादीगण व प्रतिवादी अपने–अपने हिस्से पर काबिज हैं। इस कारण वादी न0 01 को 1/3 हिस्से का व वादीगण 02 ता 07 का 1/3 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किया जावें तथा शेष 1/3 हिस्सा प्रतिवादी न0 01 के नाम यथावत् रखा जावें।

पत्रावली दर्ज रजिस्टर कर तलबी प्रतिवादीगण की गई। प्रतिवादी न0 01 की और से अधिवक्ता श्री रामअवतार चौधरी ने वकालतनामा व इकबाली जवाबदावा प्रस्तुत किया।

वादीगण ने अपने वादपत्र के समर्थन में जमाबन्दी , खसरा परिशोधन पत्र, नकल मिसल बंदोबस्त संवत् 2028–2047 पेश किये तथा उभयपक्ष के अधिवक्तागण ने राजीनामा प्रस्तुत कर वाद डिक्री किये जाने का निवेदन किया।

हमने बहस अभिभाषक वादीगण व प्रतिवादी की सुनी। अधिवक्ता वादीगण ने अपनी बहस में बताया कि उपरोक्त वर्णित भूमि हमारे पूर्वजों की हैं जो दौराने बंदोबस्त छोगा के बड़े पुत्र जगदीश के नाम लगा दी गई जो कि बड़ा पुत्र था। जबकि उपरोक्त भूमि हमारी पैतृक भूमि है जिस पर हम सभी पक्षकारान् का हिस्से अनुसार कब्जा काश्त हैं तथा वर्षों से हिस्से अनुसार काबिज होकर काश्त करते चले आ रहे हैं। उक्त भूमि प्रतिवादी न0 01 की स्वअर्जित संपत्ति नहीं हैं। बल्कि उक्त भूमि पैतृक हैं। जिस पर वादी न0 01 1/3 हिस्से पर, वादीगण न0 02 ता 07 1/3 हिस्से पर तथा प्रतिवादी न0 01 1/3 हिस्से पर काबिज होकर काश्त करते चले आ रहे हैं। इस कारण वादी न0 01 को 1/3 हिस्से का व वादीगण 02 ता 07 का 1/3 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किया जावें तथा शेष 1/3 हिस्सा प्रतिवादी न0 01 के नाम यथावत् रखा जावें। अधिवक्ता प्रतिवादीगण ने अपनी बहस में बताया कि उपरोक्त वर्णित भूमि मेरी स्वअर्जित भूमि नहीं हैं बल्कि हम पक्षकारान् की पैतृक भूमि हैं। जिस पर हम अपने–अपने हिस्से अनुसार काबिज होकर काश्त करते चले आ रहे हैं। इसक कारण वादीगण का वाद डिक्री किये जाने का निवेदन किया।

उप खण्ड अधिकारी
पीपलू (टोंक)

पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात् एवं प्रस्तुत राजीनामा एवं अधिवक्ता वादी द्वारा प्रस्तुत नजींरो का अवलोकन किया जिसके अनुसार वाद/वादी इस प्रकार डिक्री किया जाता हैं कि भूमि आराजी खसरा न0 61, 125, 133, 166, 168, 335, 365, 382, 429, 438, 454, 516, 532, 559 कुल किता 14 कुल रकबा 21 बीघा 04 बिस्वा वाकै ग्राम श्रीनगर तहसील पीपलू जिला टोंक में वादी न0 01 को 1/3 हिस्से का, वादीगण न0 02 ता 07 का 1/3 हिस्से का, खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता हैं तथा 1/3 हिस्सा प्रतिवादी के नाम यथावत रहेगा व इसी अनुरूप राजस्व रिकॉर्ड में अंकन किये जाने का आदेश दिया जाता हैं। तहसीलदार पीपलू को आदेश दिया जाता हैं कि उक्तानुसार राजस्व रिकॉर्ड को कायम करें। डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 14.08.2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(शिप्रा शर्मा)
आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी, पीपलू